

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तु लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अकिंत इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजपुत्र अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
डा. (क)	18	उत्तर कंवा पति रणजीत सिंह कौशिक राजपुर ला-डेह	नम 2	0.79	उत्तर कंवा पति रणजीत सिंह कौशिक राजपुर ला-डेह	नम 2	0.79

क्रमांक - 171

प्रतिनिधि पालनार्थ -

- उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक -

प्रतिनिधि पालनार्थ -

- पट्टार हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालन सुनिश्चित करें।

शिवाजी प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडब्लूओ)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :- 12/10/21

शिवाजी प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडब्लूओ)
PGKSA-2021, प.स. मौलासर

दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर